


न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

फर्द अहकाम

बउनवानी नारायण सिंह पुत्र उंकार सिंह. बनाम श्रीमति रूकसाना पत्नि बाबू खां नि. दोबडा कलां  
किस्म प्रकरण- अपील नामा. प्रकरण संख्या 32/2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	न/स अहकाम को हुकम की तारीख में जारी हुआ
5.9.2018.	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। यद्यपि पत्रावली में दिनांक 27.8.2018 को बहस सुनी जाकर वास्ते निर्णय आज नियत है किन्तु वकील अपीलान्ट द्वारा दिनांक 29.8.2018 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त उनवानी अपील में आगे ओर कार्यवाही नहीं चाहते हुए प्रस्तुत अपील को विद्वा करने बाबत निवेदन किया गया। चूंकि वकील अपीलान्ट उसके द्वारा प्रस्तुत अपील को विद्वा करना चाहता है। इसलिए अपील अपीलान्ट को खारिज किया जाना उचित समझता हूँ। अतः वकील अपीलान्ट की ओर प्रस्तुत अपील को विद्वा कर लिये जाने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।</p> <p style="text-align: right;"> (पी.सी. पवन) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर</p>	